



PAREEKSHA BAAZ
Institute for CSE Examination

CURRENT AFFAIRS

25th NOV 2024

For more exam related
videos and guidance,
scan the code to
join our YouTube Channel



For more exam related
material, scan the
code to join our
Telegram Channel



Scan the code
to join our
Instagram Channel





INDEX

SN.	TOPIC
1	Socialism in India means a welfare state: CJI
2	India-U.S. Ties Have Strong Foundation
3	China-India State of Play
4	National Dolphin Research Centre
5	11th ADMM Meeting-Plus and Buddhism



भारत में समाजवाद का मतलब कल्याणकारी राज्य है: सीजेआई

प्रसंग

- भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को संबोधित किया।

मुख्य बातें

- मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि भारत में "समाजवाद" का विचार एक कल्याणकारी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को नकारता नहीं है।
- उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और **अनुच्छेद 368 के तहत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।**
- उन्होंने यह भी कहा कि 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्षता' दोनों ही संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न अंग हैं और इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
 - उन्होंने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि ये शब्द अलोकतांत्रिक हैं, तथा उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना है।

समाजवाद क्या है?

- समाजवाद एक **आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा** है जो सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए **सामूहिक स्वामित्व और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की** वकालत करती है।
- यह राज्य के हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्वामित्व और कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से **धन और अवसरों में असमानताओं को कम करने पर जोर देता है।**

भारत में समाजवाद का विकास

- भारत में समाजवाद की उत्पत्ति स्वतंत्रता आंदोलन में हुई, जहां **जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस** जैसे नेताओं ने समान विकास के लिए राज्य-संचालित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया।
- **1976 में 42वें संशोधन** के बाद संविधान ने अपनी प्रस्तावना के माध्यम से "**समाजवादी**" आदर्शों को प्रतिष्ठित किया।

भारत में विकास

- **नेहरूवादी मॉडल:** राज्य-नेतृत्व वाले औद्योगीकरण और योजनाबद्ध आर्थिक विकास को अपनाना, जिसका उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना है।
- **भूमि सुधार:** सामंती असमानताओं को दूर करने के लिए भूमि का पुनर्वितरण।
- **सामाजिक न्याय आंदोलन:** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का अधिनियमन।

भारत में समाजवाद के लिए चुनौतियाँ

- **आर्थिक असमानताएँ:** पुनर्वितरण प्रयासों के बावजूद धन का संकेन्द्रण जारी है, जिससे असमानताएँ बढ़ रही हैं।

- **नौकरशाही अकुशलताएँ:** सार्वजनिक क्षेत्र अधिकांशतः अकुशलता और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, जिससे कल्याणकारी उद्देश्य कमजोर हो रहे हैं।
- **नीतिगत बदलाव:** 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर क्रमिक बदलाव को चिह्नित किया, जिससे समाजवादी आदर्श कमजोर पड़ गए।
- **वैश्वीकरण और निजीकरण:** इन ताकतों ने आय असमानताओं को बढ़ाया है और राज्य की कल्याणकारी नीतियों को चुनौती दी है।
- **संसाधन की कमी:** सीमित राजकोषीय स्थिति सरकार की सार्वभौमिक कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की क्षमता में बाधा डालती है।

समाजवाद की समकालीन प्रासंगिकता

- **सामाजिक सुरक्षा:** मनरेगा और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रम कमजोर वर्गों को समर्थन देकर समाजवादी लोकाचार को कायम रखते हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा:** आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) जैसी पहलों का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है।
- **जलवायु न्याय:** समाजवाद अब पर्यावरणीय चिंताओं के साथ जुड़ गया है, तथा प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुंच और सतत विकास की वकालत कर रहा है।
 - विकसित देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में विकासशील देशों की मदद करने के लिए **ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हैं।**
- **तकनीकी समानता:** डिजिटल विभाजन के कारण ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो सभी के लिए डिजिटल साक्षरता और पहुंच को बढ़ावा दें।

वे फारवर्ड

- हाशिए पर पड़ी आबादी की सुरक्षा के लिए **सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना।**
- पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से **सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता में सुधार लाना।**
- पुनर्वितरणीय न्याय के साथ **बाजार सुधारों को संतुलित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना।**
- **सहभागी शासन को** अपनाएं, तथा यह सुनिश्चित करें कि नीति निर्माण में नागरिकों की भी भागीदारी हो।

समापन टिप्पणी

- भारत में समाजवाद समानता, न्याय और गरिमा की सामूहिक आकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है।
- यद्यपि चुनौतियां बनी हुई हैं, फिर भी यह एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता रहेगा।

भारत-अमेरिका संबंधों की बुनियाद मजबूत

प्रसंग

- भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के विवाद के बीच व्हाइट हाउस ने हाल ही में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव की पुष्टि की।

भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन

- भारत की स्वतंत्रता के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में **शीत युद्ध युग के भारत के परमाणु कार्यक्रम पर** अविश्वास और मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है।
 - **हाल के वर्षों में** संबंधों में गर्मजोशी आई है तथा विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ है।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** 2017-18 और 2022-23 के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में **72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है**।
 - वर्ष **2021-22** के दौरान भारत में सकल **एफडीआई प्रवाह** में अमेरिका का योगदान **18 प्रतिशत** रहा , जो सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर है।
 - कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए 190.1 बिलियन डॉलर के माल और सेवाओं के समग्र द्विपक्षीय व्यापार के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है
- **रक्षा और सुरक्षा:** भारत और अमेरिका ने गहन सैन्य सहयोग के लिए तीन "आधारभूत समझौतों" पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी शुरुआत **2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)** से हुई , इसके बाद 2018 में पहली 2+2 वार्ता के बाद संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (**COMCASA**) और फिर 2020 में **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)** पर हस्ताक्षर किए गए ।
 - **2016 में** , संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक **प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया**।
- **अंतरिक्ष:** भारत द्वारा हस्ताक्षरित आर्टेमिस समझौते ने समस्त मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण स्थापित किया।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका **संयुक्त राष्ट्र, जी-20 , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन** सहित बहुपक्षीय संगठनों और मंचों में निकटता से सहयोग करते हैं ।
 - ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक **स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत** को बढ़ावा देने के लिए एक कूटनीतिक नेटवर्क, **क्वाड के रूप में एकत्रित हुए हैं**।
- **परमाणु सहयोग:** **असैन्य परमाणु समझौते पर 2005** में हस्ताक्षर किए गए थे , इस समझौते के तहत भारत अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपने सभी असैन्य संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा उपायों के तहत रखने पर सहमत हुआ था।
 - बदले में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ पूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में काम करने पर सहमत है।

- **नई पहल:** कई नई पहलों की घोषणा की गई है, जैसे भारत में जेट इंजन बनाने के लिए **जीई-एचएएल सौदा** और दोनों देशों के संबंधों में क्रांति लाने के लिए **महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी (आईसीईटी) पर पहल** ।

संबंधों में मतभेद

- **सीमित उपयोगिता:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष के दौरान अमेरिका के लिए भारत की उपयोगिता, जैसे कि चीन का आक्रमण या ताइवान पर नौसैनिक नाकेबंदी, संभवतः सीमित है।
 - ताइवान की रक्षा में अमेरिकी सैन्य भागीदारी की स्थिति में, भारत संभवतः ऐसे अमेरिकी-चीन संघर्ष में उलझने से बच जाएगा।
- **अमेरिका रूस के खिलाफ अपने सहयोगियों से अधिक तालमेल चाहता है :** अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजर में भारत युद्ध के दौरान अवसरवादी तरीके से रूस से अधिक तेल खरीद रहा है।
- **रूस के साथ रक्षा संबंध:** अमेरिका भारत द्वारा एस-400 वायु रक्षा प्रणाली जैसे हथियार हासिल करने को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे रूसी ताकत मजबूत होगी।
- **व्यापार संरक्षणवाद:** भारत के उच्च टैरिफ और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अमेरिका का जोर व्यापार संबंधों में तनाव पैदा करता है।
- **मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मानदंड:** अमेरिका ने भारत की प्रेस स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता पर चिंता जताई है, जिसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

भारत के लिए चिंताएँ

- **आर्थिक स्थिरता:** अडानी विवाद जैसे मुद्दे भारत के कॉर्पोरेट प्रशासन की कमजोरियों को उजागर करते हैं, जिनसे अमेरिकी निवेशकों को हतोत्साहित होने की संभावना है।
- **रूस-यूक्रेन संघर्ष** ने अमेरिका का ध्यान चीन से हटा दिया है, और इसलिए, इसने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक अभिसरण को काफी हद तक कमजोर करने में योगदान दिया है।
- इसके अलावा, **मध्य पूर्व में युद्ध के कारण** अमेरिका का ध्यान भटक गया है और सामान्य तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र तथा विशेष रूप से भारत को उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।

समापन अभ्युक्ति

- भारत-अमेरिका संबंध बहुआयामी हैं, जिनमें सहयोग और मतभेद दोनों ही विद्यमान हैं।
- तथापि, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में रणनीतिक अभिसरण इस साझेदारी की लचीलापन को रेखांकित करता है।

चीन-भारत की स्थिति

प्रसंग

- हाल के घटनाक्रमों ने चीन और भारत के बीच संबंधों में बनाए रखने के लिए किए जा रहे नाजुक संतुलन को उजागर किया है, जो जटिल और बहुआयामी है, तथा दोनों देशों के बीच सहयोग और संघर्ष की विशेषता है।

ऐतिहासिक संदर्भ

- चीन-भारत संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, मुख्यतः सीमा विवादों के कारण।
- सबसे उल्लेखनीय संघर्ष **1962 में हुआ था**, और तब से समय-समय पर तनाव बढ़ता रहा है, सबसे हाल ही में **2020 में गलवान घाटी में संघर्ष हुआ**, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में हताहत हुए।
- तब से, दोनों देशों ने स्थिति को कम करने के लिए कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता की है, लेकिन सीमित सफलता मिली है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

- LAC वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।
- भारत LAC को 3,488 किमी लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे केवल 2,000 किमी के आसपास मानते हैं।
- इसे तीन सेक्टरों में बांटा गया है :

1. **पूर्वी सेक्टर** जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है;
2. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में **मध्य सेक्टर**, और;
3. लद्दाख में **पश्चिमी सेक्टर**। -

अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से युक्त पूर्वी सेक्टर में LAC को **मैकमोहन रेखा** कहा जाता है जो 1,140 किमी लंबी है। भारत-चीन सीमा पर

प्रमुख घर्षण बिंदु

- **देपसांग मैदान**: यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और अतीत में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ देखी गई है - **पैंगोंग झील**: यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख फ्लैशपॉइंट रहा है, जिसमें चीनी सैनिक क्षेत्र में एलएसी पर यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। - **गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स**: ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है। - **अरुणाचल प्रदेश**: इस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर चीन अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है और यह दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। **LAC पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से कैसे अलग है?** - LoC कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 के युद्धविराम रेखा से उभरी है। - दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद 1972 में इसे LoC के रूप में नामित किया गया था। इसे दोनों सेनाओं के DGMOs द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर चित्रित किया गया है



हालिया राजनयिक जुड़ाव

- रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की हाल ही में हुई बैठक , पांच वर्षों में उनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता थी ।
- दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया तथा आपसी बातचीत में आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की ।
- जैसा कि बताया गया है, हालिया समझौते में लद्दाख के देपसांग मैदानों और डेमचोक में गश्त के अधिकारों की बहाली शामिल है, जो कि वर्तमान संघर्ष में विवाद के केंद्र रहे हैं।
- इसे 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश समेत LAC के साथ अन्य क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं।

महत्व

- **सीमा स्थिरता:** भारत-चीन सीमा पर स्थिति एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। हाल ही में कूटनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद, सीमा की स्थिति को 'आम तौर पर स्थिर' बताया गया है, लेकिन अभी भी सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है।
 - दोनों देश सीमा मुद्दे को 'उचित स्थिति' में रखने तथा इसके 'सामान्य प्रबंधन' की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
- **आर्थिक और सामरिक हित:** सीमा विवादों से परे, चीन और भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित हैं जिनके लिए सहयोग आवश्यक है।
 - दोनों देश **ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)** के प्रमुख सदस्य हैं और उनका सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
 - इससे भारत के लिए कूटनीतिक संभावनाएं खुल गई हैं क्योंकि वह रूस और पश्चिमी देशों सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है।

- **राजनीतिक भागीदारी: शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)** शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच संभावित बैठक इस समझौते को और मजबूत कर सकती है तथा भविष्य की राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी की रूपरेखा तैयार कर सकती है।

आगे की चुनौतियां

- **कार्यान्वयन:** विघटन प्रक्रिया के बाद डी-एस्केलेशन और डी-इंडक्शन होना चाहिए, जो एक धीमी और जटिल प्रक्रिया होगी जिसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी।
- **विश्वास की कमी:** भारत और चीन के बीच संबंधों में विश्वास की कमी बहुत ज़्यादा है। विश्वास का निर्माण करना और समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
- **व्यापक मुद्दे:** सीमा मुद्दा जटिल भारत-चीन संबंधों का सिर्फ एक पहलू है। स्थायी शांति और स्थिरता हासिल करने के लिए व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
 - 1980 के दशक से ही भारत और चीन अपने सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहते रहे हैं। **वुहान (2018) और चेन्नई (2019)** जैसे नेताओं के बीच **अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों में रणनीतिक संचार और सहयोग** पर जोर दिया गया।
 - अनसुलझा सीमा मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है, जिससे कभी-कभी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है।

निष्कर्ष और वे फारवर्ड

- गश्त के अधिकार को बहाल करने और सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत-चीन समझौता गतिरोध को तोड़ने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
- यह भारत के राजनयिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के धैर्य और दृढ़ता को दर्शाता है।
- यद्यपि हाल के कूटनीतिक प्रयासों ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, फिर भी स्थिर और सहयोगात्मक संबंधों के लिए सतत वार्ता, पारस्परिक सम्मान और दीर्घकालिक मुद्दों के समाधान के प्रति **प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।**

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र

पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (एनडीआरसी) को अपने उद्घाटन के महीनों बाद भी निष्क्रियता का सामना करना पड़ रहा है, जो गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण में महत्वपूर्ण चुनौतियों और पहलों को रेखांकित करता है।

- अपनी स्थापना के बावजूद, आवश्यक उपकरणों और कुशल कर्मियों की कमी के कारण यह केंद्र अभी भी बंद पड़ा है।
- **एनडीआरसी का उद्घाटन 2024 में किया जाएगा और यह गंगा नदी डॉल्फिन पर शोध और संरक्षण के लिए समर्पित होगा।**
 - यह **गंगा नदी के** निकट रणनीतिक रूप से स्थित है और इसका उद्देश्य डॉल्फिन के व्यवहार, आवास और संरक्षण संबंधी खतरों पर अध्ययन को सुविधाजनक बनाना है।
- **गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए पहल:**
 - **प्रोजेक्ट डॉल्फिन**
 - **गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षण कार्य योजना:** इसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था , जिसमें आवास संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और मानव-डॉल्फिन संघर्ष के शमन के लिए विशिष्ट कार्यों का विवरण दिया गया था।
 - इस योजना में डॉल्फिन की आबादी और खतरों का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करना तथा स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
 - **संरक्षण स्थिति:**
 - **आईयूसीएन : लुप्तप्राय**
 - **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 : अनुसूची I**
 - **लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) : परिशिष्ट I**
 - **प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (सीएमएस): परिशिष्ट I**

11वीं ए.डी.एम.एम. मीटिंग-प्लस और बौद्ध धर्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री ने लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आयोजित 11 वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) फोरम को संबोधित किया।

- उन्होंने संघर्षों के समाधान में बौद्ध सिद्धांतों की भूमिका पर जोर दिया और भारत की एक्ट ईस्ट नीति (एईपी) के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया।

11 वीं ए.डी.एम.एम. मीटिंग-प्लस की मुख्य बातें क्या हैं ?

- **नौवहन की स्वतंत्रता:** भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस), 1982 के अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
 - भारत ने एक ऐसी आचार संहिता की वकालत की जो राष्ट्रों के अधिकारों और हितों की रक्षा करती हो तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हो।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था:** भारत ने ऐसे विश्व में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के बौद्ध सिद्धांतों को अधिकाधिक अपनाने का आह्वान किया, जो तेजी से ब्लॉकों और शिविरों में ध्रुवीकृत होता जा रहा है।
- **संवाद की वकालत:** सीमा विवादों, व्यापार समझौतों और अन्य चुनौतियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुले संचार में उसके विश्वास को दर्शाता है।
- **एशियाई शताब्दी:** भारत ने 21 वीं शताब्दी को "एशियाई शताब्दी" के रूप में वर्णित किया तथा आसियान की आर्थिक गतिशीलता तथा इसके जीवंत व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर बल दिया।
- **एक्ट ईस्ट नीति का दशक:** भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसने पिछले दशक में आसियान और हिंद-प्रशांत देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है।
 - एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत नवंबर 2014 में म्यांमार की राजधानी नेपीता में आयोजित 12 वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- **जलवायु परिवर्तन और रक्षा:** भारत ने परस्पर जुड़ी सुरक्षा और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर एडीएमएम-प्लस रक्षा रणनीति के विकास का प्रस्ताव रखा।
- **वैश्विक साझा संपत्ति:** भारत ने वैश्विक साझा संपत्ति की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं से परे साझा प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं।
 - ग्लोबल कॉमन्स में उच्च सागर, वायुमंडल, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष शामिल हैं।

टिप्पणी:

भारत ने रवींद्रनाथ टैगोर की 1927 की दक्षिण-पूर्व एशिया यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी को उद्धृत किया: "मैंने भारत को हर जगह देखा, फिर भी मैं इसे पहचान नहीं सका।"

- यह वक्तव्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच गहरे और व्यापक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है।



ADMM-प्लस फोरम क्या है?

- **इसके बारे में:** यह एक बहुपक्षीय रक्षा सहयोग ढांचा है जो 10 आसियान सदस्य देशों, 8 से अधिक देशों (वार्ता साझेदारों) और तिमोर लेस्ते के रक्षा मंत्रियों को एक साथ लाता है।
 - आसियान सदस्यों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम शामिल हैं।
 - 8 संवाद साझेदारों में भारत, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल हैं।
- **स्थापना:** ADMM-प्लस का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2010 को हा नोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था।
 - 2017 से, ADMM-प्लस की वार्षिक बैठक होती है, ताकि आसियान और प्लस देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाया जा सके।
- **फोकस क्षेत्र:** एडीएमएम-प्लस वर्तमान में व्यावहारिक सहयोग के सात क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात्
 - समुद्री सुरक्षा (एमएस)
 - आतंकवाद निरोध (सीटी)
 - मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन (HADR)
 - शांति स्थापना अभियान (पीकेओ)
 - सैन्य चिकित्सा (एमएम)
 - मानवीय खदान कार्रवाई (एचएमए)
 - साइबर सुरक्षा (सीएस)
- **विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी):** इन क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए ईडब्ल्यूजी की स्थापना की गई है।
 - प्रत्येक EWG की सह-अध्यक्षता एक आसियान सदस्य राज्य और एक प्लस देश द्वारा की जाती है, जो तीन-वर्षीय चक्र में कार्य करते हैं।

दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार

- **सांस्कृतिक चौराहा:** भारतीय व्यापारियों, नाविकों और भिक्षुओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद की, श्रीविजय (सुमात्रा, इंडोनेशिया) और चंपा (वियतनाम) जैसे बंदरगाह 7 वीं से 13 वीं शताब्दी तक शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रमुख केंद्र के रूप में काम करते रहे।
- **शासकों की वैधता:** दक्षिण-पूर्व एशियाई शासकों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया, तथा अपने शासन को वैध बनाने के लिए बुद्ध या हिंदू देवी-देवताओं जैसे लोगों को अपने अधीन कर लिया।
 - सुमात्रा में केंद्रित श्रीविजय साम्राज्य बौद्ध धर्म के प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाता था।
- **हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का सम्मिश्रण:** दक्षिण पूर्व एशिया में, बौद्ध धर्म अक्सर स्थानीय मान्यताओं और हिंदू धर्म के साथ मिश्रित हो जाता है।



- दक्षिण-पूर्व एशिया के बौद्ध और हिन्दू मंदिर, जैसे **अंगकोरवाट (कंबोडिया) और बोरोबुदुर (इंडोनेशिया)**, इस सम्मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं।
 - **सांस्कृतिक प्रसार: बौद्ध धर्म ने बाली और जावा** जैसे स्थानों की स्थानीय संस्कृतियों को प्रभावित किया, जो उनके **नृत्य, अनुष्ठानों और मंदिर वास्तुकला** में देखा जा सकता है।
- संघर्ष समाधान में बौद्ध आदर्शों की क्या भूमिका है?
- **बौद्ध दृष्टिकोण:** तीन महत्वपूर्ण **बौद्ध दृष्टिकोण** जो संघर्ष को हल करने या कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं।
 - **प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध** है, अत्यंत सम्मान का पात्र है।
 - संवाद लोगों के बीच **समझ और सम्मान पैदा करने का सबसे शक्तिशाली** साधन है।
 - हमारा **आंतरिक परिवर्तन** ही विश्व को बदलने की कुंजी है (**क्रोध के विष को कम करना** जिसमें **लोभ (लोभ), घृणा (द्वेष) और भ्रम (मोह)** शामिल हैं)।
 - **अधिकरणसमथधम्म:** बौद्ध पाठ **विनय पिटक** में **अधिकरणसमथधम्म**, **भिक्षुओं के संघर्षों को हल करने** के सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है।
 - यह **भिक्षुओं को स्वीकारोक्ति, मेल-मिलाप, विवादों को सुलझाने** और संघ में **मतभेदों को दूर करने के बारे में** विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
 - यह उन सभी लोगों पर लागू होता है जो मतभेदों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वे मतभेद **व्यक्तिगत हों या राजनीतिक**।
 - **मध्यम मार्ग: संतुलित नीतियों की** वकालत करना, जिसमें सभी हितधारकों की आवश्यकताओं पर विचार किया जाए, अतिवाद से बचते हुए **न्यायसंगत समाधान को बढ़ावा दिया जाए**।
 - **परस्पर निर्भरता (प्रतीत्यसमुत्पाद):** जलवायु परिवर्तन और संसाधन संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रों के बीच **आपसी समझ और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना**।
 - **करुणा: मानवीय सहायता को** प्राथमिकता देना और संघर्ष क्षेत्रों में दुख के मूल कारणों, जैसे **गरीबी और असमानता, का समाधान करना**।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति (एईपी) क्या है?

- भारत की **एईपी एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र** के देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करना है।
 - यह **1992 की पूर्वोन्मुखी नीति से विकसित हुआ है, जो** आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए **सक्रिय भागीदारी** पर केंद्रित है।
- **सामरिक साझेदारी:** भारत ने **इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य (आरओके), ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर** सहित क्षेत्र के कई प्रमुख देशों के साथ अपने संबंधों को **सामरिक साझेदारी** तक उन्नत किया है।



- **क्षेत्रीय सहभागिता:** भारत आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक), एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी), मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) में सक्रिय रूप से शामिल है।
- **बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी:** प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, रि-टिडिम रोड परियोजना और सीमा हाट शामिल हैं।
- **सुरक्षा सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और मानदंडों को बनाए रखने तथा क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत और आसियान के बीच साझा प्रतिबद्धता है।
- **पूर्वोत्तर भारत:** व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत और आसियान के बीच संपर्क में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग) म्यांमार के माध्यम से भारत (मोरेह, मणिपुर) और थाईलैंड (माए सोत) को जोड़ेगा और इसे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करने की योजना है।

India - Myanmar - Thailand Trilateral Highway





निष्कर्ष

11 वें ADMM-प्लस में भारत की भागीदारी **क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग** के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। **संघर्ष समाधान के लिए बौद्ध सिद्धांतों** पर जोर, एकट ईस्ट पॉलिसी की सफलता और जलवायु परिवर्तन रक्षणनीतियाँ **शांतिपूर्ण, एकीकृत और टिकाऊ** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

